दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
संसद कक्ष

दिनांक–27/02/2019
प्रश्नकर्ता–श्री महेंद्र गोयल
तारांकित प्रश्न संख्या–28

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या विभाग की सरदार कालोनी सेक्टर 16ए रोहिणी व अमर ज्योति कालोनी, सेक्टर 17, रोहिणी में कुछ व्यवसायिक प्लॉट आवंटित करने की कोई योजना विचाराधीन है।	विभाग में उपलब्ध सरदार कॉलोनी सेक्टर 16 रोहिणी के लेआउट प्लान में एक प्लॉट वेजिटेबल प्लेटफार्म के लिए निर्धारित है जिसमें 12 प्लेटफार्म (2.06 मीटर X 2.65 मीटर) का प्रावधान है। अमर ज्योति कॉलोनी के लेआउट प्लान में दुकानों का प्रावधान नहीं है। वर्तमान में कोई भी योजना विचाराधीन नहीं है।
(ख) यदि हॉ, तो विभाग की इन प्लॉटों के संबंध में योजना का पूर्ण विवरण क्या हैं।	उपरोक्त।
(ग) क्या यह सत्य है कि इन प्लॉटों पर दिन प्रतिदिन अवैध कब्जे बढते जा रहे हैं।	नहीं। संज्ञान में आने पर उचित कार्यवाही की जाती है।
(घ) इन प्लॉटों से सभी अवैध कब्जे हटाने की जिम्मेदारी किस विभाग की है।	व्यवसायिक प्लॉट से अवैध कब्जे हटाने की जिम्मेदारी डूसिब की है।
(ड़) क्या विभाग अमर ज्योति कालोनी स्थित खाली पड़ी चार दुकानें चुनाव आयोग को किराए पर देने में समर्थ है और	इस सन्दर्भ में चुनाव आयोग से कोई अनुरोध प्राप्त नही हुआ है। सम्बन्धित अनुरोध आने पर उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी।
(च) अमर ज्योति कालोनी, सेक्टर 17, रोहिणी स्थित बस्ती विकास केन्द्र की वर्तमान स्थिति क्या है तथा वह किसी और कार्य में प्रयोग किया जा रहा है।	बस्ती विकास केंन्द्र सुभाक्षिका एनजीओ को आवंटित है जो कि शिक्षा एवं कौशल विकास के क्षेत्र में कार्य करता है तथा उसके कैम्पस में आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक बनाने के लिए स्थान आवंटित किया गया है।

यह उत्तर सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति से प्रेषित किया जाता है।

उप निदेशक (संसद कक्ष)

उप सचिव, संसदीय शाखा
दिल्ली सचिवालय, दिल्ली सरकार

अनुपूरक सामग्री

(अ) सरदार कॉलोनी पॉकेट जे सेक्टर-16, रोहिणी

1. स्कीम का क्षेत्रफल 11.61 एकड़
2. कुल प्लॉटो की संख्या 976 (18 वर्ग मीटर प्रति प्लॉट)
3. इस स्कीम में 118 नम्बर दुकान सहित आवास का प्राविधान था जिसको दिल्ली नगर निगम के स्टेन्डिग कमेटी की प्रास्तावना संख्या 730 दिनांक 29.03.2006 द्वारा हरित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया है।
4. इस योजना में पार्क विधुत उपकेन्द्र, हेल्थ पोस्ट, गुरूदारा,ओषधालय एंव सामुदयिक भवन का प्रावधान है।

(ब) अमर ज्योति कॉलोनी सेक्टर 17, रोहिणी

1. स्कीम का क्षेत्रफल 1.60 एकड़
2. कुल प्लॉटो की संख्या 325 (18 वर्ग मीटर प्रति प्लॉट)
3. इस योजना में पार्क एंव सामुदयिक भवन एवं चार दुकाने बनी हुई है।

N.M.M
12.6.12